श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 8/14

मनफूलराम पुत्र श्री अमरूराम जाति नाई निवासी लाधुवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

1. रामगोपाल
2. प्रेम पिसरान अमरूराम जाति नाई निवासी लाधुवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13–02–08
तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

उपस्थित : **1.श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी**
2.श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 3
3. रेस्पो0 सं0 1 व 2 के खिलाफ एकपक्षीय

आदेश **दिनांक : 01–04–16**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व रेस्पो0 सं0 1 व 2 सगे भाई हैं जिनके नाम से वाके चक 22 एल एन पी के खाता सं0 53/52 के मु0 नं0 47 में कि0 नं0 9 ता 15 कुल 1.771 है0 आराजी मुश्तर्का खाता में खातेदारी दर्ज थी। तीनों भाईयों ने काश्त एवं रास्ते तथा सिचॉई सुविधा के मध्यनजर रखते हुए एक आपसी घरेलू बंटवारानामा दिनांक 17–8–06 को किया। अपीलांट एवं रेस्पो0 को बंटवारानामा के अनुसार आराजी में पहुॅचने के लिए कि0 नं0 13 से 15 में 1–1 बिस्वा प्रत्येक में रास्ता छोड़कर शेष कृषि भूमि का बंटवारा किया गया था। उक्त बंटवारानामा मौके पर लागू किया जा चुका है। रेस्पोडेन्टस ने तथ्यों को छुपा कर अपीलांट से झूठ बोल कर रेस्पो0 ने सहमति का बंटवारा राजस्व अभियान में प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया है। रेस्पो0 ने अपीलांट को धोखा देकर नया आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि अपीलार्थी एवं रेस्पो0 के बीच पूर्व में ही दिनांक 17–8–06 को बंटवारा हो चुका था तथा पालना भी पूर्व में हो चुकी थी। अपीलार्थी को कि0 नं0 9–10 सालम तथा कि0 नं0 13/1 में 0.012 है0 रकबा दिया गया है जो कतई अव्यवहारिक है। अपीलार्थी को तथाकथित बंटवारे में ना

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

तो कोई रास्ता है और न ही सिचॉई सुविधा के लिए खाला है। अपीलाधीन आदेश के तहत ना केवल किलों को टुकड़ों में विभाजन किया गया है बल्कि अव्यवहारिक विभाजन किया गया है। अपीलार्थी सद्भावी रूप से किये गये बंटवारा दिनांक 17–8–06 के अनुसार काश्त कर रहा था। अचानक ही रेस्पो0 सं0 1 ने कि0 नं0 13–14–15 में चल रहे रास्ता को कि0 नं0 15 से दिनांक 17–2–14 को बंद कर दिया। इस पर अपीलार्थी ने उसी दिन रास्ता खोलने के लिए कहा तो रेस्पो0 ने कहा कि कि0 नं0 15 पूरा उसके नाम से है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील बाद रिपोर्ट दर्ज रजि0 की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा है कि अपीलार्थी व रेस्पो0 सं0 1 व 2 सगे भाई हैं । तीनों भाईयों ने काश्त एवं रास्ते तथा सिचॉई सुविधा के मध्यनजर रखते हुए **एक आपसी घरेलू बंटवारानामा दिनांक 17–8–06 को किया था**। अपीलांट एवं रेस्पो0 को बंटवारानामा के अनुसार आराजी में पहुॅचने के लिए कि0 नं0 13 से 15 में 1–1 बिस्वा प्रत्येक में रास्ता छोड़कर शेष कृषि भूमि का बंटवारा किया गया था। उक्त बंटवारानामा मौके पर लागू किया जा चुका है। रेस्पोडेन्टस ने तथ्यों को छुपा कर रेस्पो0 ने सहमति का बंटवारा राजस्व अभियान में प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया है। रेस्पो0 ने अपीलांट को धोखा देकर नया आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि अपीलार्थी एवं रेस्पो0 के बीच पूर्व में ही दिनांक 17–8–06 को बंटवारा हो चुका था तथा पालना भी पूर्व में हो चुकी थी। अपीलार्थी को कि0 नं0 9–10 सालम तथा कि0 नं0 13/1 में 0.012 है0 रकबा दिया गया है जो कतई अव्यवहारिक है। अपीलार्थी को तथाकथित बंटवारे में ना तो कोई रास्ता है और न ही सिचॉई सुविधा के लिए खाला है। अपीलाधीन आदेश के तहत ना केवल किलों को टुकड़ों में विभाजन किया गया है बल्कि अव्यवहारिक विभाजन किया गया है। अपीलार्थी सद्भावी रूप से किये गये बंटवारा दिनांक 17–8–06 के अनुसार काश्त कर रहा था। अचानक ही रेस्पो0 सं0 1 ने कि0 नं0 13–14–15 में चल रहे रास्ता को कि0 नं0 15 से दिनांक 17–2–14 को बंद कर दिया। इस पर अपीलार्थी ने उसी दिन रास्ता खोलने के लिए कहा तो रेस्पो0 ने कहा कि कि0 नं0 15 पूरा उसके नाम से है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अपीलांट द्वारा अपील मीमो में वर्णित किये गये तथ्य – तीनों भाईयों ने काश्त एवं रास्ते तथा सिचॉई सुविधा के मध्यनजर रखते हुए एक आपसी घरेलू बंटवारानामा दिनांक 17–8–06 को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

श्रीगंगानगर (राजरथान)

किया गया था, के संबंध में पूर्व बंटवारानामा बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। अपील मीमो में वर्णित तथ्य – रेस्पो0 ने अपीलांट को धोखा देकर नया आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि अपीलार्थी एवं रेस्पो0 के बीच पूर्व में ही दिनांक 17–8–06 को बंटवारा हो चुका था तथा पालना भी पूर्व में हो चुकी थी, के संबंध में पूर्व के प्रार्थना पत्र बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। आपसी विभाजन के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 व 2 के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पर प0 ह0 व गिरदावर से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट द्वारा ऐसी कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित होता हो कि अपील मीमो में वर्णित तथ्यों के अनुसार पूर्व में दिनांक 17–8–06 को आपसी बंटवारा हो चुका हो और रेस्पो0 ने अपीलांट को धोखा देकर नया आवेदन प्रस्तुत किया हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख से स्पष्ट है कि आपसी विभाजन के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 व 2 के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार प0 ह0 व गिरदावर से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 01–04–2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/4/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजरथान)